रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2521] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर10, 2014/अग्रहायण 19, 1936
No. 2521] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2014/AGRAHAYANA 19, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3120(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3401 (अ), तारीख 08.11.2013 द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 239.000 कि.मी. से 363.300 कि.मी. (पंजाब/हरियाणा सीमा–जींद रोहतक सेक्षन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा हैं;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स वीआइएल रोहतक जींद हाइवे प्राइवेट लिमिटेड जो 15.12.2011 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता है, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–5/21, विषाल खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 71 पर 307.000 कि.मी. से 347.800 कि.मी. तक रोहतक जींद सेक्षन और राष्ट्रीय राजमार्ग 71 के 347.800 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग 71ए के 9.400 कि.मी. तक के संयोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" कहा गया है) का चार लेन में विकास करने और उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 और साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) संषोधन नियम, 2010 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) संषोधन नियम, 2011 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेषित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 33.30 कि.मी. हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और दस करोड़ या इससे अधिक की लागत तथा 15.300 कि.मी. की कुल लम्बाई वाले वाइपासों के लिए नीचे सारणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण

द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से और प्राधिकरण से पूर्णतः प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर, जैसा भी मामला हो, अथवा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन पर, इनमें से जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भां.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
341.375 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 340.400 कि.मी.) (जींद जिले में चांदी गांव के पास)	33.300 कि.मी. (जुलाना बाइपास, लखन माजरा बाइपास और रोहतक बाइपास को छोड़कर)

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान चैनेज	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) और नाम जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
341.375 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 340.400 कि.मी.) (जींद जिले में चांदी गांव के पास)	5.775	राष्ट्रीय राजमार्ग 71 के जुलाना बाइपास के 320.600 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 320.600 कि.मी.) से प्रारम्भ करके 326.375 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 325.700 कि.मी.) पर मिलते हुए
341.375 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 340.400 कि.मी.) (जींद जिले में चांदी गांव के पास)	2.700	राष्ट्रीय राजमार्ग 71 के लाखन मजरा बाइपास के 334.750 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 334.070 कि.मी.) से प्रारम्भ करके 337.450 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 336.500 कि.मी.) पर मिलते हुए
341.375 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 340.400 कि.मी.) (जींद जिले में चांदी गांव के पास)	6.825	राष्ट्रीय राजमार्ग 71 के रोहतक बाइपास के 348.775 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 347.800 कि.मी.) से प्रारम्भ करके 355.600 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज राष्ट्रीय राजमार्ग 71ए के 9.400 कि.मी.) पर मिलते हुए

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और यथा संषोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

IndiaCode

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो—तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेष कराने के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसे यांत्रिक वाहन के लिए लागू शुल्क के दस गुणा के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा, और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए ।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी—1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम—से'—कम एक—एक समाचार पत्र में प्रकाषित करवाया जाएगा और तत्पष्चात् उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा तथा उसे प्रकाषित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है शुल्क में पिछली बार की गई वृद्धि की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर कोई संषोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा / 13013 / 670 / सीओ / 13—14 / जीसी / रोहतक—जींद(307.000—347.800)बीओटी]

अलकेष शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2014

S.O. 3120(E).—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3401 (E), dated 08.11.2013, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 239.000 to km 363.300 (Punjab/Haryana Border - Jind Rohtak Section) of National Highway No. 71 in the State of Haryana to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s VIL Rohtak Jind Highway Private Limited having its registered office at B-5/21, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 15.12.2011 for the development of Rohtak - Jind Section from Km 307.000 to Km 347.800 on National Highway No. 71 and connecting link from km 347.800 of National Highway No. 71 to km 9.400 of National Highway No. 71A (hereinafter referred to as the "said section") to four laning, operation and maintenance of the said Section under NHDP Phase-III on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Toll Basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010 and National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011 the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section of the said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 33.30 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at one and half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 15.300 km. costing Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) declared by the Authority and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

IndiaCode

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km.) for which Fee is payable
Km. 341.375 (Design Chainage) (Existing Chainage km. 340.400) (near Chandi Village in Jind District)	33.300 km. (excluding the length of Julana Bypass, Lakhan Majra Bypass and Rohtak Bypass)

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs.10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length & Names of bypass (in km.) for which additional fee is payable	
Km. 341.375 (Design Chainage) (Existing Chainage km. 340.400) (near Chandi Village in Jind District)	5.775	Julana Bypass taking off at km. 320.600 (Design Chainage) (Existing Chainage km. 320.600) and joining at km. 326.375 (Design Chainage) (Existing Chainage km. 325.700) of NH-71
Km. 341.375 (Design Chainage) (Existir Chainage km. 340.400) (near Chandi Village in Jind District)	2.700	Lakhan Majra Bypass taking off at km. 334.750 (Design Chainage) (Existing Chainage km. 334.070) and joining at km. 337.450 (Design Chainage) (Existing Chainage km 336.500) of NH-71

Km. 341.375 (Design Chainage) (Existir Chainage km. 340.400) (near Chandi Village in Jind District)	6.825	Rohtak Bypass taking off at km. 348.775 (Design Chainage) (Existing Chainage km 347.800) and joining at km. 355.600 (Design Chainage) (Existing Chainage km. 9.400 of NH-71A) of NH-71

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 as amended.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the Base rate of Fee per km. for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised and published annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/13013/670/CO/13-14/GC /Rohtak – Jind (307.000– 347.800) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.